9/HP/2204/20

3.4.2014
2:12 PM

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

....लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग – I

मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाना है।

मैं..संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक

अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करता हूं।

अभ्यर्थी का नाम..पिता/माता/पति का नाम..

..............................इनका डाक पता..

इनका नाम..संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..................................(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग संख्या ....में क्रम

संख्या..पर प्रविष्टि है।

मेरा नाम..है जो..संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट..विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामावली के भाग..................................में क्रम संख्या..पर प्रविष्ट है।

दिनांक..

प्रस्तावक के हस्ताक्षर

E:\Brahamanand\FSO\Pranup 2A Hindi.Ane

भाग — II

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा नहीं खड़ा किए गये अभ्यर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए)

हम एतद् द्वारा 09 - अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट करते हैं।

अभ्यर्थी का नाम संजय कुमार ऋषिदेव पिता / माता / पति का नाम हरिलाल ऋषिदेव

उसका डाक पता गांव-राघोपुर देशान टोला, पोस्ट-पचीरा, थाना-रानीगंज, अररिया

उसका नाम 09 - अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 47 - रानीगंज विधान सभा

(मे समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग सं. 103 में क्रम संख्या 237 पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपदर्शित है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	प्रस्तावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	47-रानीगंज	103	41	रविन्द्र ऋषिदेव	रविन्द्र ऋषिदेव	03-04-014
2	47-रानीगंज	103	182	राम सजन ऋषि	रामसजन ऋषि	03-4-14
3	47-रानीगंज	103	226	बिलक्षण ऋषिदेव	बिलेक्षर ऋषिदेव	03-4-14
4	47-रानीगंज	103	228	अनील ऋषिदेव	[illegible]	03.04.14
5	47-रानीगंज	103	239	संतोष कुमार	संतोष कुमार	03-4-2014
6	47-रानीगंज	103	303	राजेन्द्र पासवान	राजेन्द्र पासवान	03.04.14
7	47-रानीगंज	103	395	राजेन्द्र यादव	राजेन्द्र यादव	03.04.2014
8	47-रानीगंज	103	417	दिलिप यादव	दिलीप यादव	03.4.14
9	47-रानीगंज	103	423	हरेराम यादव	हरेराम यादव	03.04.14
10	47-रानीगंज	103	447	उमेश यादव	उमेश यादव	03.04.2014

टिप्पणी : प्रस्तावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग — III

मैं भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दें) में उल्लिखित अभ्यर्थी इस नाम निर्देशन की अनुमति देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि –

(क) मैंने 32 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है,

निम्नलिखित ख (i) या ख (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दें,

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में .... दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल / राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक मुझे आबंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं, इस निर्वाचन में कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट) लिबरेशन दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ, जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है। ~~मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ~~ (जो लागू न हो उसे काट दें) तथा मैंने अधिमान्य क्रम में

(i) झंडा पर तीन तारा (ii) झंडा पर तीन तारा (iii) झंडा पर तीन तारा

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता / ~~माता~~ / पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी देवनागरी में (भाषा का नाम) सही है।

(घ) अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं अनुसूचित जाति / ~~जनजाति~~ का सदस्य हूँ जो .... राज्य के उस

उस राज्य में के .... (क्षेत्र) .... से संबंधित अनुसूचित मुसहर जाति / ~~जनजाति~~ है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के वर्तमान में साथ में होने वाले" सामान्य निर्वाचन / उप–निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

संजय कुमार रविदेव

दिनांक 03-04-14 अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

★ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप की दशा में समाविष्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

★★ यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

★★★ यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जम्मू तथा कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप के मामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से तात्पर्य संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण तथा आबंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

क्या अभ्यर्थी –

(i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 क की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) में, या

(ख) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट विधि के उल्लघंन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या

(ii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो वर्षों या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

हाँ/नहीं ✓

यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. शून्य

(ii) पुलिस स्टेषन शून्य जिला (जिले) शून्य राज्य शून्य

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था शून्य

(iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) शून्य

(v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था शून्य

(vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालावधि इंगित करें तथा/या जुर्माने की राषि उपदर्षित शून्य

(vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) शून्य

(viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विरुद्ध कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी/थीं

(ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख

(x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया शून्य

(xi) क्या उक्त अपील (अपीलें)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाएं) का निपटारा कर लिया गया है या वे/वह अभी लंबित है शून्य

(xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो

(क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य

(ख) पारित आदेष (आदेषों) का प्रकार (की प्रकृति) शून्य

संजय कुमार अभिषेक

दिनांक 03-04-14

स्थान अररिया

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

E:\Brahmanand\ELC\Form 2A Hindi.doc

भाग — IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देषन पत्र की क्रम संख्या 09/HP/2014/RO यह नाम निर्देषन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में 03.04.2014 (तारीख) को 02.12 ~~अपराह्न~~ बजे को अभ्यर्थी/~~प्रस्तावक~~ द्वारा दिया गया।

3.4.2014

दिनांक 03.04.2014

जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।

निर्वाची पदाधिकारी
09-अररिया संसदीय क्षेत्र
सह-जिला पदाधिकारी, अररिया

भाग — V

नाम निर्देषन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्चय

मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देषन पत्र को जाँच लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्चय करता हूँ :–

दिनांक .....

रिटर्निंग ऑफिसर

(छिद्रण) .....

"प्ररूप 26"

(नियम 4 क देखिए)

Notary Araria

G. Secretary Dist. Bar Association Araria

09- अररिया

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

Affidavit No......../2014

भाग–क

मैं संजय कुमार ऋषिदेव **पुत्र/~~पुत्री~~/पत्नी हरिलाल ऋषिदेव आयु 32 वर्ष, जो गांव - रामपुर दर्मान टोला, पोस्ट - पचीरा, थाना - रानीगंज, जिला - अररिया ...(डाक का पूरा पता लिखें) का/~~की~~ निवासी हूं, और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं/~~करती~~ हूं, शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं:–

(1) मैं कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनवादी) लिबरेशन (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/.

** ~~एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।~~

(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम रानीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, बिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं. 103 के क्रम सं. 237 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. 7765844802 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) शून्य है एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है शून्य

Notary Regd. No.-43/05 (4968J) Araria (Bihar)

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाईल करने की प्रास्थितिः

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	स्वयं	शून्य	शून्य	शून्य
2.	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य
3.	आश्रित–1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित–2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित–3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगीः–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा अरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	पी० एस० केस नं० - 133/13 थाना - रानीगंज, जिला - अररिया, बिहार
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	धारा - 323, 341, 307, 379, 504/34
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पी० आर० नं० 1754/13, संज्ञान की तारीख - 26.11.13
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	प्रथम सहायक सत्र न्यायधीश - I सेशन वाद सं० 225/14
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	05.02.14
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शून्य

RAMAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है {पूर्वोक्त मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	शून्य
(ग)	पूर्वोक्त आदेश(आदेशों) के विरूद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्यौरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य
(ग)	अधिरोपित दंड	शून्य
(ध)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रास्थिति	शून्य

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे:-

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-45/2018 (4968) Araria (Bihar)

टिप्पण 3– सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4– यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5– रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	हाथ में नकदी	12,000/-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम 33755280416:5004-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	50ग्राम चांदी	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समग्र कुल मूल्य	12,000/-	2175/-	शून्य	शून्य	शून्य

Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1– संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2– प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षक संख्यांक(संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम भूमि पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेन्ट सहित अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RANJAN KUMAR
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेन्ट सहित): अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	पूर्वोक्त (i) से(V) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूं:–

(टिप्पण: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

RAMAN KUMAR Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्यः सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय–कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरेः

(क) स्वयं..... मजदूरी .....

(ख) पति या पत्नी..... मजदूरी .....

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार हैः–

..... साक्षर .....

.....

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968) Araria (Bihar)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में लिए गये ब्यौरे का उद्धहरण

1	अभ्यर्थी का नाम		श्री / श्रीमती / कु0 संजय कुमार ऋषिदेव			
2	डाक का पता		गाँव - रघोपुर हिंगन टोला पो० - पचीरा, थाना - रानीगंज जिला - अररिया			
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य		09 - अररिया, बिहार			
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)		कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी लेनिनिस्ट) लिबरेशन			
5	(i)ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं		एक			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से भिन्न)		एक			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है।(लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमत्र 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)		शून्य			
7		.... का स्थायी लेखा सं0	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।		कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य		शून्य	
	(ख) पति या पत्नी	शून्य	शून्य		शून्य	
	(क) आश्रित	शून्य	शून्य		शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	12000/-	2175/-	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

Notary Regd. No-43/06 (4968J) Araria (Bihar)

	I.	स्वअर्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/ संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		(क) स्वर्जित आस्तियां(कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता: साक्षर (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसनें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरें दें।)					

RANJAN KUMAR VERMA
Notary
Regd. No.-43/03
(4968)
Araria (Bihar)

Notary Araria

Notary Regd. No-43/03 (4968J) RANJAN KUMAR VERMA Araria (Bihar)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:–

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

Authorised U/S 139 ... with S ... of the Notaries Act ...

आज तारीख 03.04.2014 को सत्यापित किया गया।

Sanjay Kr. Rishideo

J.K. Yadav

Identified by संजय कुमार ऋषिदेव

Jay Kumar Yadav Adv 03.04.2014 En. No. 1543/01

अभिसाक्षी

R.K.Verma 03/04/2014

Ranjan Kumar Verma ARARIA (BIHAR)

टिप्पणः 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणः 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणः 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणः 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121–2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ–पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

Notary Regd. No-43/03 (4968J) RANJAN KUMAR VERMA Araria (Bihar)

टिप्पणः 6. शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं............ 7765844802

मेरा ई–मेल आई०डी० (अगर कोई हो) है............ शून्य

एवं मेरा सोशल मीडिया एकांउट्स (अगर कोई हो) है............ शून्य

RANJAN KUMAR VERMA Notary Regd. No.-43/03 (4968J) Araria (Bihar)

RKVerma 03/04/24
RANJAN KR. VERMA
NOTARY
ARARIA BIHAR (INDIA)